न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 45/2016 **दायरा दिनांक : 22.02.2016**

उनवान

1– रामनारायण आत्मज किशन लाल, जाति धाकड़, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2– कंचन बाई आत्मज किशन लाल, जाति धाकड़, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

3– जमनी बाई आत्मज किशन लाल, जाति धाकड़, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

4– गौरी बाई आत्मज किशन लाल, जाति धाकड़, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– जानकी लाल आत्मज भैरू लाल, जाति नाई, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2– रामकिशन आत्मज भैरू लाल, जाति नाई, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड़

4– राजस्थान राज्य जरिये उपपंजीयक सुनेल जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हुकम चन्द कुमावत एवं श्री अमितोषाचार्य अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय **दिनांक : 06.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 114/2014 निर्णय दिनांक 30.11.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस काशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम सुनेल की आराजी खाता संख्या 225/1 की खसरा नम्बर 2913 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि के खातेदार देवीलाल, किशन लाल धाकड़ के नाम रही है जिसके पश्चिम वाला हिस्सा 6.06 बीघा को प्रार्थीगण ने खरीद कर पंजीयन करवा लिया था परन्तु बेचान दिनांक 12.06.1980 में बेचान, दोनों खातेदार की ओर से लिखा गया व इसी खसरा नम्बर का पूर्व दिशा को 19.12.1996 को खरीद लिया जिसे फेगमेंट कानून के तहत नामान्तरकरण नहीं खोला जिस कारण किशन लाल की मृत्यु पर आराजी उनके आराजी उसके पुत्रों के नाम खातेदारी में आकयी । आराजी खरीद की होने से प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध व्यादेश चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को अस्थायी व्यादेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, न्याय तथा विधि के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत तथा पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रथम दृष्टया राजस्व अभिलेख में कहीं पर प्रार्थीगण का नाम खातेदारी में अंकित नहीं है व किसी भी प्रकार से उसके बताये अनुसार वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ही है, फसल खराबी का मुआवजा भी अप्रार्थीगण को मिला है जिस कारण राज्य की मंशा भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं रही है, वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान के हकों का निर्धारण वाद में लम्बित विवादग्रस्त प्रश्नों पर साक्ष्य आने पर ही तय होगा जब तक कि वादीगण प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी में उसका किसी भी प्रकार से कोई हक नहीं है न ही उसका केस प्रथम दृष्टया है, न सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है एवं न ही उसे अपरिमित क्षति होने की संभावना है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण प्रार्थीगण के दस्तावेज की मियाद 12 वर्ष खत्मज हो गई है तथा उन्होंने अप्रार्थीगण के आराजी के नाम आने के नामान्तरकरण की अपील भी नहीं की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकारा की

(महेन्द्र लोढ़ा)
उप-खण्ड अधिकारी

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 अपास्त की जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी फेगमेंट कानून से पहले खरीदी थी । वादग्रस्त आराजी हमारे खाते नहीं लगी । अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निधेषाज्ञा मंजूर कर ली है । हम अपील में आये हैं क्योंकि वादग्रस्त आराजी के हम वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार हैं । अधीनस्थ न्याालय ने गलत निर्णय किया है । अतः अपील स्वीकार की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. टी. 2016 (2) पेज 1323 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि यदि रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध टी. आई जारी नहीं करते तो वादग्रस्त आराजी का बेचान हो जाता। वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने से रोका जो इनके हितों के विपरीत नहीं है । इनके पिता किशनलाल ने दिनांक 12.06.1980 को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हमें बेचान कर दिया था । वादग्रस्त आराजी 1980 से हमारे कब्जे काश्त में है । 1980 में फेगमेंट कानून लागू हुआ था, जो 1992 तक लागू था । किशन लाल के दूसरे भाई का 1/2 हिस्सा भी हमने 1996 में खरीद लिया था । सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी हमारे कब्जे काश्त में है। फेगमेंट कानून के कारण वादग्रस्त आराजी में किशन लाल का यथावत रह गया । किशन लाल की मृत्यु हो गई है । अधीनस्थ न्यायालय स्थगन सही दिया है । वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखने के लिए इनकी अपील खारिज करें ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1980 अनुसार ग्राम सुनेल की आराजी खसरा नम्बर 2913 रकबा 13 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि को प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है जिस पर प्रार्थीगण रेस्पोडेंट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है, परन्तु फ्रेगमेंट की जद में आने से नामान्तरकरण संख्या 875 खारिज हो गया है एवं बाद में खातेदार किशन पिता रामा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान अप्रार्थीगण अपीलांट का राजस्व रेकार्ड में

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
... अधिकारी
कोटा (राज.)

नाम दर्ज हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेंट का कब्जे के आधार पर प्रथम दृष्टया ठोस प्रकरण माना है इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण रेस्पोडेंट को ही होना माना है । अतः प्रार्थीगण रेस्पोडेंट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा